राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 9 (130)राज–6/16/101 जयपुर, दिनांक 13-01-2017

परिपत्र

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

विषयः– पर्यटन इकाई हेतु आरक्षित राजकीय भूमि के आवंटन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के संबंध में।

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में अधिसूचना दिनांक 22.5.15 के संशोधन द्वारा नियम 3बी अन्तःस्थापित कर पर्यटन इकाईयों के विकास एवं स्थापना हेतु भूमि आवंटन की प्रकिया निर्धारित की गई है। जिसके द्वारा जिला कलक्टर पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण करेगा। ऐसी चिन्हित भूमि को पर्यटन विभाग को सूचित करते हुए पर्यटन इकाई हेतु आरक्षित करने एवं इसे जिला कलक्टर एवं पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। अलग–अलग वर्ग की पर्यटन इकाईयों के लिए आरक्षित किये जाने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम भू–क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई है। ऐसी आरक्षित भूमि की आरक्षित दर कृषि भूमि के बाजार मूल्य के आंकलन के लिए जिला स्तरीय समिति की सिफारिश की दरों के बराबर होगी।

13/1/17

उक्त प्रकिया द्वारा पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन बोली आमन्त्रित कर किए जाने का प्रावधान है। एक से अधिक बोली प्राप्त होने पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से भूमि आवंटन किये जाने का प्रावधान है।

पर्यटन इकाईयों की स्थापना हेतु चिन्हित कर आरक्षित की गई भूमि के बोली के माध्यम से आवंटन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:–

1. बोली में भाग लेने हेतु पात्रता निम्नानुसार रहेगी:–

क्रम सं0	वर्ग	न्यूनतम/अधिकतम भू क्षेत्र	न्यूनतम वार्षिक कारोबार (annual turnover)	न्यूनतम net worth
1.	बजट होटल व एक से तीन सितारा होटल	1200 वर्गमीटर से 4000 वर्गमीटर तक	लागू नही	लागू नही
2.	चार सितारा होटल	6000 वर्गमीटर सें 12000 वर्गमीटर तक	लागू नही	लागू नही
3.	पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल	18000 वर्गमीटर सें 40000 वर्गमीटर तक	लागू नही	लागू नही
4.	अन्य पर्यटन इकाई	40000 वर्गमीटर से अधिक	रूपये 25 करोड़	रूपये 12.5 करोड

13/1/17

2. बजट होटल एवं एक सितारा से तीन सितारा होटल, चार सितारा होटल तथा पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को रू. 5000/– एवं अन्य पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओ को 1,00,000/– रूपये बतौर पंजीकरण शुल्क जमा कराने होगे जो बोलीदाता को वापस नही किया जायेगा। यह राशि बोली आरम्भ होने से पूर्व नकद या ड्राफ्ट से जमा करायी जा सकेगी।
3. बजट होटल एवं एक सितारा से तीन सितारा होटल, चार सितारा होटल तथा पांच सितारा व इससे ऊपर के होटल की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली

में भाग लेने वाले बोलीदाताओं को बोली शुरू होने से पूर्व भूमि के आरक्षित मूल्य अर्थात कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 15 प्रतिशत राशि एवं अन्य पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु आरक्षित भूमि की बोली में भाग लेने वाले बोलीदाताओ को कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर का 50 प्रतिशत राशि अमानत के रूप में जमा करानी होगी। यह राशि उच्चतम बोलीदाता के नाम से बोली छूटने पर भूखण्ड की कीमत में समायोजित कर ली जावेगी तथा अन्य व्यक्तियों को अमानता राशि मौके पर ही लौटा दी जावेगी।

4. नाबालिग अथवा नाबालिग के नाम से किसी बोलीदाता को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा।
5. यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिस व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोलीदाता के नाम उच्चतम बोली छूटती है, कब्जापत्र/लीजडीड उसी के नाम जारी किया जावेगा।
6. भूखण्ड नीलामी हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक नीलामी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमे अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं जिला कोषाधिकारी सदस्य होगे।

13/1/17

7. नीलामी के समय नीलामी समिति को यदि ऐसा अनुमत हो कि बोली दर उचित प्राप्त नहीं हो रही है अथवा नीलामी ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं तो मौके पर ही नीलामी को अस्वीकार कर नीलामी स्थगित कर सकती है।
8. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूखण्ड के मूल्य का, उसके द्वारा पूर्व में भूमि कीमत पेटे जमा कराई गई राशि घटाने के पश्चात शेष रही राशि का 10 प्रतिशत बोली की स्वीकृति दिनांक से 72 घण्टे के भीतर जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। शेष राशि नीलामी की पुष्टि पत्र (मांग पत्र) जारी करने की 30 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी।

9. भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा होने पर क्रेता को भूखण्ड जैसा है वैसे के आधार पर हस्तान्तरित होगा।
10. लीज डीड रजिस्ट्रेशन आदि का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जायगा।
11. भूखण्ड का उपयोग केवल पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ ही किया जायेगा।
12. भूखण्ड की लीजडीड का निष्पादन राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के प्रावधानों के अनुसार होगा तथा पट्टेदार को वार्षिक किराया नियमानुसार अदा करना होगा।

भवदीय

(पी. एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न का सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, राजस्व सचिव।
3. निजी सचिव, सचिव, पर्यटन विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव